न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

उपस्थित :– **(वीरेन्द्र कुमार चौबे)**
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
–सह विशेष न्यायाधीश, किशोर न्यायालय,
मधेपुरा ।

B.P. No-149/2026
Murliganj P.S. Case No.-09/2026

1. **मो. क्यामउद्दीन उर्फ क्याम** उम्र करीब 28 वर्ष पिता मो. शब्बीर
(साकिन – बैरियापट्टी वार्ड नं.–14, थाना– मुरलीगंज, एवं जिला– मधेपुरा।) .....अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार .....विपक्षी।

07-03-2026

दिनांक 13.01.2026 से काराधीन अभियुक्त **मो. क्यामउद्दीन उर्फ क्याम** की ओर से दाखिल जमानत आवेदन दिनांक 17.02.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मो. नूर आलम, द्वारा प्रचालित किया गया। नियमित जमानत आवेदन–पत्र की प्रति विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोत्तम यादव को दी जा चुकी है।

सूचक की ओर से वकालतन हाजरी दाखिल किया गया है।

मेरे द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

सूचक मो. आलम के टंकित आवेदन के आधार पर अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक–30.12.2025 की रात्रि में उसकी विधवा पुत्री हीना प्रवीण पति स्व0 मो0 अजाबुल उर्फ बबलू ने उसे खबर कर बुलाया कि कुन्दन कुमार, चंदन कुमार एवं उसके साथ दो अन्य लड़का जो कि मुरलीगंज का ही है उसकी पुत्री को बंधुआ मजदूरी बनाकर आजीवन रहने के लिये दबाब बना रहे थे, जब उसकी पुत्री आजीवन उसके यहॉ मजदूरी करने से मना की तो नामित लोगों ने धमकी दिया था कि जान से मार देंगे तथा दिनांक–03.01.2026 के रात्री में उसकी पुत्री गायब थी। उस दिन से खोजबीन कर रहे थे। दिनांक–05.01.2026 को आठ की संख्या में और नामित लोग उसकी नतनी को पुनः जान से मारने के कोशिस कर रहा था तब ग्रामीण द्वारा बताया गया दिनांक–06.01.2026 को उसकी पुत्री को कुन्दन कुमार चन्दन कुमार एवं उसके अन्य साथियों ने हीं मिलकर षडयंत्र कर एवं बलात्कर कर हत्या कर लाश को घर के सुनसान जगह जहॉ पर भूषा का घर था उसमें छिपा दिया। सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्तगण एवं अन्य दो के विरूद्व मुरलीगंज थाना कांड़ संख्या–09 / 2026 अन्तर्गत धारा 103(1),66,238,61(2),3(5) बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी।

07-03-2026
लगातार.....

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री मो0 नूर आलम द्वारा यह कहा गया है कि यह आवेदक इस मुकदमा के प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है। इस आवेदक का नाम इस मुकदमा में प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त चंदन कुमार के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है जिसे उसने पुलिस अभिरक्षा में दिया था। यह आवेदक मृतक का नजदीकी संबंधी है जिसे सूचक भी भली–भॉती जानता है और इनके सभी परिवार के सदस्य तथा वह सारे गवाह जिन्होंने धारा 180 बी.एन.एस. के अधीन बयान दिया है वे सभी भी इसे पहचानते हैं और यह अवेदक मृतक के करीबी पड़ोसी है इस मुकदमा के सभी अभियुक्तों ने हीना प्रवीण की हत्या चंदन कमार एवं कुन्दन कुमार के द्वारा किये जाने का बयान दिया है। प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त चंदन कुमार एवं कुन्दन कुमार दोनों मृतक से बराबर लड़ाई –झगड़ा करते थे क्योंकि वे बंधुआ मजदूर के तरह उसके खेत में पुरी जीवन मजदूरी की तरह कार्य किये थे और चुदन कुमार शादी करना चाहता था। दोनों प्राथमिकी अभियुक्त द्वारा मृतक की पोती को उसकी उपस्थिति में हत्या करने की कोशिश की गयी। क्योंकि उसी की उपस्थिति में दोनों अभियुक्तों ने मृतक के साथ उसे देखा और वह इस मुकदमा के सबसे अच्छे गवाह है लेकिन पुलिस के द्वारा मृतक की पुत्री का बयान नहीं लिया गया, क्योंकि पुलिस प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त को मदद करना चाही। मुकदमा के अन्य गवाह ने बयान दिया है कि चंदन कुमार द्वारा कुन्दन कुमार मृतक को अपने साथ ले गये और उन दोनों ने हीं उसकी हत्या की है। इस मुकदमा में कोई भी गवाह या सूचक ने हीना प्रवीण की हत्या में इस आवेदक की संलिप्त रहने का बयान नहीं दिया है। इस आवेदक के विरूद्व मात्र चंदन कुमार के स्वीकारोक्ति बयान के अलावा कोई भी अन्य साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त दिनांक–13.01.2026 से काराधीन है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय की संतोषप्रद एवं पर्याप्त राशि का बंध–पत्र एवं प्रतिभू दाखिल करने के लिए तैयार है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को नियमित जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

7/3/26

बिहार सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोत्तम यादव यादव द्वारा जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति किया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरांत मेरे द्वारा औपचारिक प्राथमिकी, सूचक के टंकित आवेदन, एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। आवेदक अप्राथमिकी अभियुक्त है। अभियुक्त का नाम अनुसंधान के क्रम में सह अभियुक्त चंदन कुमार के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है। अभियुक्त पर सूचक की विधवा पुत्री का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार कर चाकू से गला रेतकर हत्या कर देने का आरोप है। कांड

07-03-2026
लगातार.....

दैनिकी के पैरा–08 में वादी ने अपने पुनः बयान में, पैरा– 9,10 में साक्षी मो. साहिद, मो. अफरोज द्वारा सह अभियुक्तों के द्वारा मृतिका का अपहरण कर हत्या करने की बात कही गयी है। पैरा– 12 में घटनास्थल का वर्णन है। पैरा– 17 एवं 18 में एफ.एस.एल. के टीम द्वारा साक्ष्य एकत्रित किया गया है जिसकी जप्ती सूची बनाकर भेजा गया है। पैरा– 25 में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वर्णन है जिसमें मृतिका की मृत्यु कारण Due to above mentioned injuries बताया गया है। पैरा–37 में सह अभियुक्त चंदन कुमार का स्वीकारोक्ति बयान है जिसमें आवेदक अभियुक्त के साथ मिलकर मृतिका के साथ बारी–बारी से बलात्कार किये जाने के पश्चात् अवेदक अभियुक्त द्वारा मृतिका को गला रेतकर हत्या कर दिये जाने की बात कही गयी है। पैरा–49 में आवेदक अभियुक्त का Liquid Blood, Blood Stains, oral Swab, Semen इत्यादि का नमूना लेकर F.S.L. भेजे जाने की बात कही गयी है। पैरा– 70 में सह अभियुक्त पप्पु कुमार ने आवेदक अभियुक्त के द्वारा हीं बलात्कार की बाद गला रेतकर हत्या किये जाने की बात कही गयी है। वाद अभी अनुसंधान अन्तर्गत है। अभियुक्त सूचक की धिवा पुत्री के साथ अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार कर गला रेतकर नृशंस हत्या करने का विशिष्ट एवं धृर्णित आरोप है।

वाद के उक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, इस स्थल पर अभियुक्त को जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, परिणामस्वरूप आवेदक अभियुक्त **मो. क्यामउद्दीन उर्फ क्याम** का नियमित जमानत आवेदन–पत्र **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित
Virendra Kr Chaubey
7/3/26
(वीरेन्द्र कुमार चौबे)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– प्रथम,
सह –स्पेशल जज, मधेपुरा।